संख्या–वे0आ0–2–841/दस–2009–59(एम)/2008

प्रेषक,

मनजीत सिंह
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2009

विषयः– पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1371/दस–59(एम)–2008, दिनांक 02 जनवरी, 2009 एवं संख्या–वे0आ0–2–299/दस–59(एम)–2008 टी0सी0,दिनांक 27 फरवरी, 2009 सपठित शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/दस– 59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के माध्यम से दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण से सम्बन्धित विस्तृत व्यवस्था की गयी है।

2– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–1 के स्पष्टीकरण–4 के आधार पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 के उपरान्त किसी पद/संवर्ग का वेतनमान उच्चीकृत/संशोधित होने की स्थिति में उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने पर वेतन निर्धारण की व्यवस्था उपलब्ध है किन्तु पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने के उपरान्त पद का वेतनमान उच्चीकृत/संशोधित होने की स्थिति में उच्चीकृत पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की व्यवस्था उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 में उपलब्ध नही है। ऐसे संवर्ग/पदों, जिनके वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद हुआ हो और सम्बन्धित पदधारक द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना, वेतनमान उच्चीकरण की तिथि के पूर्व से चुनने का विकल्प दिया गया हो, उन मामलों में पुनरीक्षित वेतन संरचना में पद के उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) किसी कार्मिक द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने के उपरान्त यदि सम्बन्धित पद के उच्चीकृत/संशोधित